भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 31

07 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का विविधीकरण

31. श्री संजय काका पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों के बीच पोषण सेवन के पैटर्न में बदलाव पर विचार करते हुए जिससे इंगित होता है कि चावल और गेहूं की पसंद कम हुई है और प्रोटीन युक्त अन्य खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद किया जा रहा है, क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जा रही वस्तुओं में इन परिवर्तनों को शामिल करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अधिक टिकाऊ फसल उत्पादन को शामिल करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित खाद्यान्नों में विविधता लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को अत्यधिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। इस अधिनियम के तहत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटा अनाज अथवा उनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो समय-समय पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित किए गए गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हों। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इन योजनाओं को जारी रख सकती हैं या इस अधिनियम के तहत प्रदान किए जा रहे लाभों से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए खाद्य अथवा पोषण आधारित योजनाएँ तथा स्कीमें तैयार कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, देश में रक्ताल्पता (अनीमिया) और सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रो-न्यूट्रीएंट) की कमी

.....2/-

का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने चरणबद्ध रूप से वर्ष 2024 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण - पीएम पोषण [पूर्व में मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम)] और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीम के जरिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को अनुमोदित किया है।

******